राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

8,अरेरा हिल्स भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य–पोषण/2017/17449 भोपाल, दिनांक 17/05/2017

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,म.प्र.
2. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र.

विषय : वर्ष 2017–18 में आयोजित की जाने वाली दस्तक अभियान–प्रथम चरण अंतर्गत स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों का कार्यदायित्वों के संबंध में।

*****

विषयांतर्गत लेख है कि विगत दस्तक अभियान के सकारात्मक परिणामों के फलःस्वरूप बच्चों में होने वाली प्रमुख समस्याओं के सक्रिय पहचान आधारित इस गतिविधि का विस्तार समूचे प्रदेश में वर्ष में दो बार यथा माह जून (बाल्यकालीन दस्त रोग व मलेरिया बाहुल्य माह) एवं दिसम्बर (बाल्यकालीन निमोनिया बाहुल्य माह में आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत 51 जिलों में 313 विकासखण्डों के 56 हजार ग्रामों तक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की पहुॅच बनाई जायेगी। वर्ष 2017–18 में आयोजित की जाने वाली **दस्तक अभियान–प्रथम चरण का आयोजन दिनांक 15 जून– 15 जुलाई 2017 के मध्य किया जाना है** जिसके लिये टैग लाईन– *'बाल सुरक्षा के लिए सेहत की दस्तक, घर–घर तक'* निर्धारित की गई है। चूंकि दस्तक अभियान गतिविधियों का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से किया जाना है। अतः अभियान हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला टीकाकरण अधिकारी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

उद्देश्य :–

5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रमुख बाल्यकालीन बिमारियों की सामुदायिक स्तर पर सक्रिय पहचान द्वारा त्वरित प्रबंधन ताकि बाल मृत्यु दर में वांछित कमी लाई जा सके।

दस्तक अभियान गतिविधियां–

1. 5 वर्ष से कम उम्र के गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय पहचान, **(Active Case finding)** रेफरल एवं प्रबंधन।
2. 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में गंभीर एनीमिया की सक्रिय स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन।
3. 9 माह से 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों को विटामिन ए अनुपूरण।
4. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल्यकालीन निमोनिया की त्वरित पहचान, प्रबंधन एवं रेफरल।
5. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल्यकालीन दस्त रोग के नियंत्रण हेतु ओ.आर.एस. के उपयोग संबंधी सामुदायिक जागरूकता में बढ़ावा एवं प्रत्येक घर में गृहभेंट के दौरान ओ.आर.एस. पहुॅचाना।
6. समूचित शिशु एवं बाल आहारपूर्ति संबंधी समझाईश समुदाय को देना।
7. एस.एन.सी.यू एवं एन.आर.सी से छुट्टी प्राप्त बच्चों में बीमारी की स्क्रीनिंग तथा फॉलो–अप को प्रोत्साहन।
8. बच्चों में दिखाई देने वाली जन्मजात विकृतियों की पहचान।
9. NIDDCP 14 एन्डेमिक जिलों में घरेलू नमक में आयोडीन पर्याप्तता की जांच एवं आयोडीन अल्पता से बच्चों में होने वाले विकारों संबंध में सामुदायिक जागरूकता ।
10. समुदाय में अभियान के दौरान बीमार बच्चों का मूलभूत प्रबंधन।

दस्तक अभियान में ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू., आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा संयुक्त रूप घर–घर जाकर गृहभेंट की जायेगी जिसमें यथासंभव दल के साथ सरपंच/पंचायत प्रतिनिधि सम्मिलित रहेंगे। उपरोक्त के संदर्भ में स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों का कार्यदायित्वों के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :–

जिला स्तर :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.	जिला टीकाकरण अधिकारी म.प्र.	जिला कार्यक्रम अधिकारी, म.बा.वि, म.प्र.
• दस्तक अभियान का जिले के समस्त विकासखण्डों एवं ग्रामों में क्रियान्वयन। • अभियान हेतु आवश्यक औषधियों, सामग्रियों, मुद्रण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • यूनिसेफ द्वारा प्रदायित दस्तक किट बैग में उपरोक्त सामग्रियों की जिला स्तर पर रिफीलिंग कराकर आउटरीच ए.एन.एम. को नामजद वितरण करना। • जिला कलेक्टर को अभियान के संबंध में जानकारी देना एवं कलेक्टर कार्यालय से कर्मचारियों की नामजद ड्यूटी लगाना। • जिला टीकाकरण अधिकारी के माध्यम से दस्तक अभियान की सूचना विकासखण्ड एवं ग्राम स्तरीय कर्मचारियों तक पहुँचाना। • अभियान के दौरान दैनिक रिपोर्टिंग की निगरानी करना। • दस्तक अभियान में रेफरल हेतु चिन्हांकित बच्चों की रेफरल एवं समूचित प्रबंधन की मॉनीटरिंग करना। • दस्तक अभियान की पूर्व सूचना समस्त ब्लड बैंक एवं एन.आर.सी. प्रभारियों को देना ताकि संदर्भित बच्चों का व्यवस्थापन सुनिश्चित हो।	• दस्तक अभियान के क्रियान्वयन हेतु टीकाकरण के सूक्ष्म कार्ययोजना के तर्ज पर नामजद ग्रामवार माइक्रोप्लान अभियान एवं मूल्याकंन गतिविधि हेतु बनाना। • जिला/विकासखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों से सतत् समन्वय बनाना। • जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर दस्तक अभियान के क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों का उन्मुखीकरण करना। • आउटरीच ए.एन.एम. हेतु दस्तक किट बैग की नियमानुसार रिफीलिंग जिला स्टोर, प्रभारी से करवाना तथा आउटरीच ए.एन.एम. के प्रशिक्षण के दौरान दिनांक 1–10 जून 2017 मध्य वितरण सुनिश्चित करना। • दस्तक अभियान में रेफरल हेतु चिन्हांकित बच्चों की रेफरल, चिकित्सकीय जॉच तथा समूचित प्रबंधन की मॉनीटरिंग करना । • दस्तक अभियान के रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना। • ब्लड बैंक प्रभारी एवं सिविल सर्जन के समन्वय से पीडियाट्रिक ब्लड बैग (100एम.एल.) की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • अभियान के दौरान चिन्हांकित बच्चों का समुचित फॉलोअप सुनिश्चित करना।	• मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ दस्तक अभियान हेतु समन्वित कार्ययोजना तैयार करना। • दस्तक अभियान के पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की एम.यू.ए.सी. मापन पर प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। • म.बा.वि के विकासखण्ड स्तरीय एवं मैदानी कार्यकर्ताओं को अभियान की जानकारी देना। • दस्तक अभियान के दौरान अधीनस्थ कर्मचारियों की नामजद ड्यूटी निर्धारित करना। • आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विकासखण्ड स्तर पर उन्मुखीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करना। • दैनिक रिपोर्टिंग हेतु विकासखण्ड परियोजना अधिकारियों एवं विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी से संपर्क बनाये रखना। • दस्तक अभियान में रेफरल हेतु चिन्हांकित बच्चों की रेफरल एवं समूचित प्रबंधन की मॉनीटरिंग करना। • अभियान के दौरान चिन्हांकित बच्चों का समुचित फॉलोअप सुनिश्चित करना।

विकासखण्ड स्तर :–

विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.	परियोजना अधिकारी, म.बा.वि., म.प्र.
• **दस्तक अभियान का समस्त विकासखण्डों एवं ग्रामों में क्रियान्वयन।** • ग्रामवार प्रत्येक आउटरीच ए.एन.एम. हेतु सूक्ष्म कार्ययोजना का निर्माण सुनिश्चित करना। ए.एन.एम. की अनुपलब्धता होने पर वैकल्पिक दलों का गठन करना। • अभियान हेतु दस्तक किट बैग की समस्त आउटरीच ए.एन.एम. को वितरण सुनिश्चित करना। आवश्यक संख्या में रिपोर्टिंग प्रपत्र, रेफरल हेतु निःशुल्क परिवहन का टोल फ्री नम्बर, निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक का नाम एवं मोबाईल नम्बर की उपलब्धता मैदानी कर्मियों तक सुनिश्चित करना। • अभियान अंतर्गत कर्मचारियों की पर्यवेक्षण हेतु नामजद ड्यूटी लगाना। • अभियान की पूर्व सूचना ग्राम में 10 जून 2017 तक पहुॅचाना ताकि आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गतिविधि का प्रसार सुनिश्चित हो सके। • दस्तक अभियान के उद्देश्यों के संबंध में कर्मचारियों को उन्मुख करना। • ग्राम स्तर पर चिन्हांकित गंभीर एनीमिक बच्चों की रक्ताधान हेतु उचित संस्थान तक निःशुल्क परिवहन एवं रक्ताधान की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • चिन्हांकित गंभीर कुपोषित बच्चों के व्यवस्थापन हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्रों में पर्याप्त बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यदि केन्द्र पर उपलब्ध बिस्तरों से अधिक बच्चे चिन्हांकित होते है तो स्थानीय प्रशासन की मदद से अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करना। • निमोनिया से ग्रसित बच्चों में खतरे के लक्षणों की पहचान एवं निःशुल्क परिवहन द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपचार हेतु रेफरल सुनिश्चित करना। • दस्त रोग नियंत्रण हेतु ओ.आर.एस. पैकेट का वितरण, उपयोग की विधि संबंधी परामर्श एवं गंभीर निर्जलीकरण की पहचान तथा रेफरल सुनिश्चित करना। • माँ कार्यक्रम के संबंध में समस्त आशाओं को अभियान पूर्व उन्मुख करना एवं आशा पोर्टल में इसकी जानकारी इंद्राज करना। • अभियान के दौरान दैनिक रिपोर्टिंग की निगरानी करना। • दस्तक अभियान में रेफरल हेतु चिन्हांकित बच्चों की रेफरल एवं समूचित प्रबंधन की मॉनीटरिंग करना।	• दस्तक अभियान के क्रियान्वयन हेतु विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी के साथ संयुक्त रणनीति तैयार करना। • गंभीर कुपोषित बच्चों के पहचान हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उन्मुख करना एवं आवश्यक एम.यू.ए.सी. टेप उपलब्ध कराना। • चिन्हांकित गंभीर कुपोषित बच्चों की रेफरल एवं भर्ती की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • दस्तक अभियान के अंतर्गत चिन्हांकित गंभीर कुपोषित बच्चों की जानकारी आई.सी. डी.एस. एम.आई.एस. में अद्यतन करना। • पोषण पुनर्वास केन्द्र से छुट्टी उपरांत बच्चों नियमित फालो–अप सुनिश्चित करना। • विटामिन ए अनुपूरण पश्चात प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा रजिस्टर नम्बर–6 व 7 में विटामिन ए अनुपूरण की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना। • अभियान अंतर्गत कर्मचारियों की पर्यवेक्षण हेतु नामजद ड्यूटी लगाना। • दस्तक अभियान के उद्देश्यों के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं आई.सी.डी.एस. सुपरवाईजर्स को उन्मुख करना। • माँ कार्यक्रम के विस्तार हेतु शीघ्र स्तनपान, 6 माह तक केवल स्तनपान, 6 माह के उपरांत स्तनपान के साथ संपूरक आहार तथा 2 वर्ष तक उपरी आहार के साथ स्तनपान जारी रखने के सामुदायिक जागरूकता हेतु म.बा.वि. के कर्मचारियों को निर्देशित करना। • अभियान के दौरान दैनिक रिपोर्टिंग की निगरानी करना। • दस्तक अभियान में रेफरल हेतु चिन्हांकित बच्चों की रेफरल एवं समुचित प्रबंधन की मॉनीटरिंग करना।

ग्राम स्तर :–

आशा	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	ए.एन.एम/एम.पी. डब्ल्यू
• दस्तक अभियान के संबंध में सर्वेक्षण दिनांक के पूर्व ग्राम में प्रचार–प्रसार करना। • अभियान के पूर्व मातृत्व सहयोगिनी समूहों की बैठक आयोजित करना जिसमें महिलाओं को शिशु बाल आहारपूर्ति की समझाईश के साथ–साथ दस्तक अभियान की गतिविधियों की समझाईश देना। • सर्वेक्षण के दौरान ए.एन.एम. की मदद से भेंट किये गये परिवारों के घर पर घर क्र./दस्तक गेरू, नील अथवा चॉक से लिखना। • बच्चों की हिमोग्लोबिन जॉच हेतु ए.एन.एम. का सहयोग करना। • < 8gm% वाले बच्चों में गंभीर एनीमिया की पुष्टि एवं निःशुल्क रक्ताधान हेतु बच्चे की संस्था पर जांच हेतु परिजनों को प्रोत्साहित करना। • > 8gm% वाले बच्चों का NIPI के दिशा–निर्देश अनुसार सप्ताह में दो बार 1ml (प्रति मंगलवार एवं शुक्रवार) आई.एफ.ए. सीरप पिलाने की समझाईश देना। • एम.यू.ए.सी. मापन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सहयोग करना। • आशा इन्फोकिट की मदद से मॉ कार्यक्रम की जानकारी परिजनों को देना। • बीमार बच्चों की जानकारी ए.एन.एम. को देना ताकि उनका मुलभूत उपचार अथवा बीमारी की गंभीरता का आंकलन ए.एन.एम. कर सके। • 10–12 परिवारों को एकत्रित करके साबुन–पानी से हाथ धोने की सही विधि, ओ.आर.एस. घोल बनाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन करना। • NIDDCP के 14 एन्डेमिक जिलों में STK के उपयोग से घरेलू नमक में आयोडीन की मात्रा की जॉच करना।	• दस्तक अभियान के संबंध में सर्वेक्षण दिनांक के पूर्व ग्राम में प्रचार–प्रसार करने में आशा का सहयोग करना। • आंगनवाड़ी सहायिका की मदद से सर्वेक्षण के दौरान गंभीर कुपोषित बच्चों का एम.यू.ए.सी. टेप से चिन्हांकन करना। • चिन्हांकित गंभीर कुपोषित बच्चों की जानकारी आई.सी.डी.एस.एम. आई.एस में भी प्रतिवेदित करना। • ऐसे बच्चों के रेफरल हेतु परिजनों को तैयार करना एवं पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती करना। • पोषण पुनर्वास केन्द्र से छुट्टी उपरांत बच्चों की नियमित फॉलो–अप सुनिश्चित करना। • 9 माह से 5 वर्षीय समस्त बच्चों का विटामिन ए अनुपूरण सुनिश्चित करना। • विटामिन ए अनुपूरण पश्चात प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा रजिस्टर नम्बर–6 व 7 में विटामिन ए अनुपूरण की रिपोर्टिंग करना। • आशा के साथ भेंट किये गये परिवारों में शिशु एवं बाल आहारपूर्ति संबंधी समझाईश देना। • 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मासिक वृद्धि निगरानी एवं संतुलित पोषण के महत्व के संबंध में परिवारों को जागरूक करना। • NIDDCP के 14 एन्डेमिक जिलों में आयोडीन युक्त नमक के सेवन को बढ़ावा देना। • दस्तक अभियान के दौरान चिन्हांकित गंभीर बच्चों की संस्था से छुट्टी उपरांत ग्राम स्तर पर फॉलोअप करना।	• आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय पहचान हेतु 6 माह 5 वर्षीय समस्त बच्चों का एम.यू.ए.सी. मापन करना। • 6 माह से 5 वर्षीय समस्त बच्चों की डब्ल्यू.एच.ओ कलर स्केल से हिमोग्लोबिन की जॉच एसेप्टिक तरीके से सुनिश्चित करना। • Hbgm% ≤8gm वाले बच्चों को निःशुल्क परिवहन व्यवस्था द्वारा गंभीर एनीमिया की पुष्टि एवं रक्ताधान हेतु निकटस्थ ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र पर रेफर करना जहां रक्ताधान (Blood Transfusion) की सुविधा उपलब्ध हो। • बीमार बच्चों की आई.एम.एन.सी.आई. आधारित लक्षणों के आधार पर पहचान करना एवं यदि स्थानीय स्तर पर मुलभूत उपचार संभव हो तो उपचारित करना। • गंभीर/क्रिटिकल बच्चों को निःशुल्क परिवहन व्यवस्था से निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र पर रेफर करना। • एस.एन.सी.यू. एवं एन.आर.सी. से छुट्टी प्राप्त बच्चे यदि घर में मौजूद हो तो उनकी जॉच करना एवं फॉलो–अप हेतु प्रेरित करना। • संभावित निमोनिया के अल्प लक्षण पाये जाने पर Amoxicillin Syrup परिजन को उपलब्ध कराना। सुधार न होने की स्थिति में उपस्वास्थ्य/प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रोटोकॉल अनुसार Inj. GM लगवाना। • 9 माह से 5 वर्षीय समस्त बच्चों का विटामिन ए अनुपूरण। • बच्चों में जन्मजात विकृतियों की पहचान। • रेफर किये गये समस्त बच्चों की नामजद ट्रेकिंग करना ताकि कोई भी गंभीर एनीमिया, गंभीर कुपोषण अथवा गंभीर संक्रमण (निमोनिया अथवा अन्य संक्रमण) से ग्रस्त बच्चा उपयुक्त उपचार से वंचित न रहे।

आशा है कि "दस्तक अभियान" की सफलता हेतु आवश्यक है कि दोनों विभाग समन्वित रूप से पुरजोर प्रयास करेंगे एवं घर–घर तक स्वास्थ्य और पोषण दस्तक देकर अंतिम हितग्राही तक पहुँच बनाने में शासन की मंशा को सफल करेंगे।

(पुष्पलता सिंह)
आयुक्त
एकीकृत बाल विकास सेवायें, म.प्र.

(वी. किरण गोपाल)
मिशन संचालक
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य–पोषण/2017/ 17450 भोपाल, दिनांक 17/05/2017

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव महिला बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
4. संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, महिला बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. उपसंचालक, शिशु स्वास्थ्य पोषण/शिशु स्वास्थ्य/एन.आई.डी.डी.सी.पी./आशा/आई.ई.सी., मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला टीकाकरण अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक सूक्ष्म नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक समन्वय हेतु।
12. समस्त जिला मॉनीटरिंग एवं ईवेल्यूएशन अधिकारी, मध्यप्रदेश।

आयुक्त
एकीकृत बाल विकास सेवायें, म.प्र.

मिशन संचालक
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश